संख्या 27/11/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रक्षिशण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: सर्वश्री दीनानाथ राम, नुरुल हुडा एवं बी0के0 श्रीवास्तव, अवर अभियंता के उत्तर प्रदेश पुनरावंटन पर विचार ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बेठक में सर्वश्री दीनानाथ राम, नुरुल हुडा एवं बी0के0 श्रीवास्तव, अवर अभियंता के उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन के संबंध में पुनर्विचार किया गया । समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया कि पुनर्गठन अधिनियम के दिशानिदेशों को अवक्रमित करके जारी किए गए राज्य सरकार के एक कार्यकारी आदेश के अंतर्गत इन अवर अभियन्ताओं को उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त किया गया । इस संबंध में समिति द्वारा पुनः अपनी पूर्व संस्तुति दोहराई गई जिसके अनुसार पर्वतीय उपसंवर्ग से संबंधित होने के कारण इन अभियन्ताओं को उत्तराखंड राज्य आवंटित किया गया और इसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा इनके प्रत्यावेदन को स्वीकृत भी किया जा चुका है ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री सर्वश्री दीनानाथ राम, नुरुल हुडा एवं बी0के0 श्रीवास्तव, अवर अभियंता उत्तराखंड राज्य में बने रहेंगे । संबंधित कार्मिकों को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

25 SEP 2012

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. श्री आर0के0 सुधान्शु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।